

सेवा पूर्ति

No.

21-01/2009



सत्यमेव जयते

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA  
केंद्रीय हिंदी निदेशालय  
CENTRAL HINDI DIRECTORATE  
शिक्षा मंत्रालय  
(MINISTRY OF EDUCATION)  
(उच्चतर शिक्षा विभाग)  
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

पश्चिमी खंड-7, रामकृष्णपुरम्, WEST BLOCK-VII, RAMA KRISHNA PURAM  
नई दिल्ली/NEW DELHI-110066

तार : राजभाषा  
Tele : Rajbhasha  
फोन/Phone : 26178454, 26105211  
26105213, 26105214, 26105243  
26105312, 26105245, 26105526  
फैक्स/Fax : 26100758, 26103160  
26102575  
www.hindinideshalaya.nic.in

दिनांक/DATED : 21.7.2022

सेवा में,

.....  
.....  
.....

विषय: - केंद्रीय हिंदी निदेशालय के प्रथम तल और भू-तल पर स्थित विभागीय कैटीन में लगे आर0 ओ0 सिस्टम के रख-रखाव व मरम्मत हेतु खर्च के विवरण की जानकारी विभिन्न एंजेसियों /फर्मों से सील बन्द कोटेशन/निविदायें प्राप्त करने से संबंधित महोदय,

(रूपरेखा पार्क स्थित)  
निदेशक, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात इस निदेशालय के प्रथम तल और भूतल पर स्थित विभागीय कैटीन में लगे आर0 ओ0 सिस्टम के रख-रखाव व मरम्मत हेतु खर्च के विवरण की जानकारी विभिन्न एंजेसियों /फर्मों से सील बन्द कोटेशन/निविदायें प्राप्त की जानी है। अतः आपसे अनुरोध है कि अगर आपकी फर्म निदेशालय के प्रथम तल और भू-तल पर स्थित विभागीय कैटीन में लगे आर0 ओ0 सिस्टम के रख-रखाव व मरम्मत हेतु (AMC) ठेके पर कार्य करने को तैयार है तो अपनी फर्म के लैटर हैड पर दोनों आर0 ओ0 के रख-रखाव व मरम्मत पर खर्च की जानकारी को सील बन्द लिफाफे में दिनांक 08-08-2022 सांय 2.00 बजे तक इस निदेशालय में भिजवाने की व्यवस्था करें। निविदाएं उसी दिन सांय 3.00 बजे प्रशासनिक अधिकारी के कक्ष में खोली जाएंगी। निविदा भिजवाये जाने के नियम व शर्तें निम्न प्रकार से हैं :-

1. निविदाएं सील बंद लिफाफे में होनी चाहिए तथा लिफाफे के ऊपर निदेशालय के प्रथम तल और भूतल पर स्थित विभागीय कैटीन में लगे आर0 ओ0 सिस्टम के रख-रखाव व मरम्मत हेतु खर्च की जानकारी लिखा होना चाहिए।
2. प्रशासनिक अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा। कार्य संतोष जनक न पाए जाने की स्थिति में उन्हें अधिकार होगा कि कार्य को बिना कोई कारण बताए रद्द कर सकते हैं।
3. आपको सूचना देने के उपरांत आप तुरंत कार्यालय में संपर्क करने के लिए बाध्य होंगे।
4. निविदाएं उन्ही फर्मों की स्वीकार्य की जाएगी जो दिनांक 05-08-2022 से पहले निदेशालय में स्वयं आकर कार्य का निरीक्षण करें तथा कार्य के निरीक्षण करने के उपरांत ही अपनी स्वीकृति दरे प्रस्तुत करें।

आप उपरोक्त नियम व शर्तों के अनुसार बाध्य होंगे तथा किसी प्रकार की शिकायत का मौका न देने की स्थिति में कार्य करेंगे

भवदीया

(रीता देव)

प्रशासनिक अधिकारी

वैबसाइट पर अपलोड करवाने के लिए सहायक निदेशक (वैबसाइट) को आवश्यक कार्रवाई हेतु।